फाइल नं0-71-1002(099)/19/2021

119/2023/I/373361/2023

प्रेषक,

एस0पी0 सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 23 अगस्त, 2023

विषयः-वित्तीय वर्ष 2023-24 में फेज-3 के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में लिक्विड आक्सीजन स्टोरेज टैंक (एल0एम0ओ0) की स्थापना हेतु सिविल कार्य हेतु प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2023-24/317, दिनांक 11.07.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासनादेश दिनांक 20.12.2022 द्वारा राजकीय मेडिकल कालेजों एवं स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में आक्सीजन स्टोरेज टैंक की स्थापना हेतु सिविल कार्य के सम्बन्ध में प्रति कालेज रू0 9.62 लाख की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी। कतिपय स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों हेतु नामित कार्यदायी संस्था द्वारा बिल बाउचर एंव खाता संख्या न उपलब्ध कराने जाने के कारण धनराशि समर्पित कर दी गयी।

उक्त के दृष्टिगत उपरिसन्दर्भित पत्र दिनांक 11.07.2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय यथा-कानपुर देहात, बिजनौर, पीलीभीत, औरैया, गोण्डा, चन्दौली, ललितपुर, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी में एल0एम0ओ0 की स्थापना हेतु सिविल कार्य हेतु प्रति मेडिकल कालेज हेतु रू0 9.62 लाख की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में आपके उपरिसन्दर्भित पत्र दिनांक 11.07.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय यथा-कानपुर देहात, बिजनौर, पीलीभीत, औरैया, गोण्डा, चन्दौली, ललितपुर, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी में लिक्विड आक्सीजन स्टोरेज टैंक (एल0एम0ओ0) की स्थापना हेतु सिविल कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजी लेखा पक्ष में लेखाशीर्षक 4210-03-105-24- वृहद निर्माण कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रति मेडिकल कालेज हेतु रू0 9.62 लाख (जी0एस0टी0 सहित) अर्थात् कुल रू0 86.58 लाख (रू0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

9.62x9=86.58) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष् स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों-

1. स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 24-वृहत् निर्माण मद में प्राविधानित बजट के सापेक्ष उक्त धनराशि का व्यय किया जाएगा।
2. उपर्युक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को प्रधानाचार्यगण द्वारा जिलाधिकारी द्वारा नामित कार्यदायी संस्था के पक्ष में अवमुक्त किया जायेगा।
3. सिविल कार्य को आईनाक्स लि0 द्वारा दिये गये ड्राइंग के अनुसार किया जायेगा।
4. कार्य की गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित प्रधानाचार्यगण की होगी।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशानिर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।-
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही कार्यो कार्य मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किन्हीं अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगा।
7. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैक खाते व डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
8. प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 4210031058909 (मेडिकल कालेज, बिजनौर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	4210031058909 मेडिकल कालेज, बिजनौर	24 वृहत् निर्माण कार्य	9,62,000 (रुपये नौ लाख बासठ हजार मात्र)
	कुल			**9,62,000** **(रुपये नौ लाख बासठ हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210031058912 (मेडिकल कालेज, गोण्डा)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	4210031058912 मेडिकल कालेज, गोण्डा	24 वृहत् निर्माण कार्य	9,62,000 (रुपये नौ लाख बासठ हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	कुल			**9,62,000** **(रुपये नौ लाख बासठ हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210031058913 (मेडिकल कालेज, ललितपुर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	4210031058913 मेडिकल कालेज, ललितपुर	24 वृहत् निर्माण कार्य	9,62,000 (रुपये नौ लाख बासठ हजार मात्र)
	कुल			**9,62,000** **(रुपये नौ लाख बासठ हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210031058914 (मेडिकल कालेज, लखीमपुर खीरी)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	4210031058914 मेडिकल कालेज, लखीमपुर खीरी	24 वृहत् निर्माण कार्य	9,62,000 (रुपये नौ लाख बासठ हजार मात्र)
	कुल			**9,62,000** **(रुपये नौ लाख बासठ हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210031058915 (मेडिकल कालेज, चन्दौली)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	4210031058915 मेडिकल कालेज, चन्दौली	24 वृहत् निर्माण कार्य	9,62,000 (रुपये नौ लाख बासठ हजार मात्र)
	कुल			**9,62,000** **(रुपये नौ लाख बासठ हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210031058917 (मेडिकल कालेज, सोनभद्र)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि

http://shasanadesh.up.nic.in

1	031	4210031058917 मेडिकल कालेज, सोनभद्र	24 वृहत् निर्माण कार्य	9,62,000 (रुपये नौ लाख बासठ हजार मात्र)
	कुल			**9,62,000** **(रुपये नौ लाख बासठ हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210031058918 (मेडिकल कालेज, पीलीभीत)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	4210031058918 मेडिकल कालेज, पीलीभीत	24 वृहत् निर्माण कार्य	9,62,000 (रुपये नौ लाख बासठ हजार मात्र)
	कुल			**9,62,000** **(रुपये नौ लाख बासठ हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210031058919 (मेडिकल कालेज, औरैया)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	4210031058919 मेडिकल कालेज, औरैया	24 वृहत् निर्माण कार्य	9,62,000 (रुपये नौ लाख बासठ हजार मात्र)
	कुल			**9,62,000** **(रुपये नौ लाख बासठ हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210031058920 (मेडिकल कालेज, कानपुर देहात)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	4210031058920 मेडिकल कालेज, कानपुर देहात	24 वृहत् निर्माण कार्य	9,62,000 (रुपये नौ लाख बासठ हजार मात्र)
	कुल			**9,62,000** **(रुपये नौ लाख बासठ हजार मात्र)**
महायोग				86,58,000

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	(रुपये छियासी लाख अट्ठावन हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनॉक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रमुख अभियन्ता (विकास एवं विभागाध्यक्ष), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारीगण।
4. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय यथा-कानपुर देहात, बिजनौर, पीलीभीत, औरैया, गोण्डा, चन्दौली, ललितपुर, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी।
5. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय यथा-कानपुर देहात, बिजनौर, पीलीभीत, औरैया, गोण्डा, चन्दौली, ललितपुर, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी।
7. श्री आनन्द कुमार त्रिपाठी, उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद-कानपुर देहात, बिजनौर, पीलीभीत, औरैया, गोण्डा, चन्दौली, ललितपुर, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी।
9. आईनॉक्स लि0।
10. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह),
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in